मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर

सिविल न्यायाधीश वर्ग–2 (प्रवेश स्तर) परीक्षा–2019 (Phase-II)

विज्ञापन

विज्ञापन क्रमांक :325/परीक्षा/सी.जे./2019(Phase-II) दिनाँक– 05/09/2020

आवेदन भरने की प्रारंभ तिथि	:–	22 सितंबर, 2020 (मंगलवार) दोपहर 12:00 (pm) बजे से
आवेदन करने की अंतिम तिथि	:–	05 नवंबर, 2020 (गुरूवार) रात्रि 11:55 (pm) बजे तक
आवेदन में त्रुटि सुधार हेतु प्रारंभ तिथि	:–	10 नवंबर, 2020 (मंगलवार) दोपहर 12:00 (pm) बजे से
आवेदन में त्रुटि सुधार हेतु अंतिम तिथि	:–	12 नवंबर, 2020 (गुरूवार) रात्रि 11:55 (pm) बजे तक
ऑनलाइन प्रारम्भिक परीक्षा की तिथि	:–	बाद में अधिसूचित की जावेगी ।
मुख्य परीक्षा की तिथि	:–	बाद में अधिसूचित की जावेगी ।

सिविल न्यायाधीश वर्ग–2 (प्रवेश स्तर–सीधी भर्ती) के रिक्त पदों हेतु MPHC की वेबसाइट– www.mphc.gov.in के माध्यम से केवल ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

ऑनलाइन आवेदन भरने के निर्देश व विधि नीचे दी गई है । कृपया आवेदक आवेदन पत्र भरने से पहले सावधानीपूर्वक निर्देशों को पढ़ लें। यह विज्ञापन, निर्देश सहित, उच्च न्यायालय की वेबसाइट– www.mphc.gov.in पर उपलब्ध है।

पोर्टल–शुल्क सहित परीक्षा शुल्क –

अनारक्षित वर्ग तथा मध्यप्रदेश राज्य के बाहर के निवासी सभी आवेदकों के लिए ₹ 722.16/– सेवा प्रदाता का शुल्क तथा ₹ 400/– परीक्षा शुल्क अर्थात् ₹ 722.16+400= ₹ 1122.16/– तथा मध्यप्रदेश राज्य के निवासी आरक्षित वर्ग/समस्त दिव्यांग आवेदकों के लिए केवल सेवा प्रदाता का शुल्क ₹ 722.16/– देय होगा।

नोट :– (1) ऐसे अभ्यर्थी जो कि मध्यप्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं हैं उन्हें संपूर्ण चयन प्रक्रिया में अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी माना जायेगा और तद्नुसार उन्हें परीक्षा शुल्क भी देना होगा ।

(2) ऊपर वर्णित शुल्क परिवर्तन के अधीन है और परिस्थितियों में परिवर्तन होने पर अभ्यर्थी को परिवर्तित शुल्क का भुगतान करना होगा तथा शुल्क परिवर्तन के संबंध में आपत्ति(यों) पर कोई विचार नहीं किया जायेगा ।

(3) अभ्यर्थी का आवेदन जमा तभी माना जायेगा जब निर्धारित शुल्क का ट्रांजेक्सन सफलतापूर्वक हो चुका हो ।

यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पूर्णतः अभ्यर्थी की होगी कि परीक्षा हेतु आवेदन व शुल्क निर्धारित तिथि व समय के पूर्व जमा हो चुका है । बैंकिंग, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन व अन्य किसी कारणवश यदि अभ्यर्थी का आवेदन व शुल्क यदि निर्धारित अवधि के पूर्व जमा नहीं हो पाते हैं तो इससे संबंधित अभ्यावेदनों पर कोई विचार न करते हुए उन्हें स्वतः निरस्त माना जावेगा ।

खण्ड – "अ"

एक – रिक्त पद :

भारतीय नागरिक और भारत शासन द्वारा मान्य अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारो से म. प्र. शासन विधि और विधायी कार्य विभाग के अन्तर्गत **रिक्त कुल–252 (192+60* (Backlog from previous years)) सिविल न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के अस्थायी पदों के लिये** निर्धारित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। पद श्रेणीवार निम्नानुसार है –

(अ)	**अनारक्षित – 96+6***	(स)	**अनुसूचित जाति– 31+2***
(ब)	**अन्य पिछड़ा वर्ग– 27+2***	(द)	**अनुसूचित जनजाति– 38+48**+2***

(*=Backlog PH posts & ** =Backlog posts)

उपरोक्त पदों (192) में से स्थायी दिव्यांग (Specially Abled) अभ्यर्थियों को "The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016" के नियम 34 में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत आरक्षण कुल रिक्तियों का 4 प्रतिशत तक सीमित रहेगा, जिनका चयन दिव्यांगों की मेरिट क्रमानुसार किया जाएगा अर्थात् जिस वर्ग का दिव्यांग आवेदक

मेरिट क्रम में चयनित होगा उसकी पूर्ति उसी वर्ग के लिए स्वीकृत रिक्त पदों में से की जाएगी (अर्थात् आरक्षण रोस्टर से मुक्त होगा)।

दो –(1) म.प्र. राज्य के बाहर के अजा/अजजा/अपिव के आवेदक आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी 'अनारक्षित' भरें। अजा/अजजा/अपिव के लिए आरक्षित पद केवल म.प्र. के मूल निवासी अजा/अजजा/अपिव के लिए आरक्षित है।

(2) केवल म.प्र. के मूल निवासी जो अजा/अजजा/अपिव के हैं, वे आवेदन पत्र में तद्नुसार अपनी श्रेणी अंकित करें।

(3) अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी का लाभ उन्हीं आवेदकों को प्राप्त होगा जो क्रीमीलेयर के अन्तर्गत नहीं आते हों।

तीन– (अ)चयनित आवेदकों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाएगी।

(ब) किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का सूचनापत्र देने पर सेवाएँ समाप्त की जा सकती है।

(स)चयनित आवेदक को अधिकृत मेडीकल बोर्ड से निर्धारित शुल्क अदा कर मेडीकल फिटनेस सर्टीफिकेट पेश करना होगा।

चार – पदों की संख्या परिवर्तनीय रहेगी। पदों की संख्या को चयन प्रक्रिया के दौरान व अंतिम चयन सूची जारी होने तक, किसी भी स्तर पर कम या ज्यादा किया जा सकता है । अंतिम चयन के पूर्व किसी भी चरण में ऐसी रिक्तियाँ इस विज्ञापन के अन्तर्गत शुद्धि पत्र द्वारा प्रकाशित की जाएँगी परन्तु ऐसे अतिरिक्त पदों के लिये पृथक से आवेदन पत्र आमंत्रित नहीं किये जाएँगें तथा इस विज्ञापन में निर्धारित अंतिम तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों के आवेदक ही पात्र रहेंगे।

पाँच –पद का विवरण – सिविल न्यायाधीश वर्ग–2 (प्रवेश स्तर)

(क) **श्रेणी** – राजपत्रित द्वितीय श्रेणी।

(ख) **वेतनमान**– रू. 27700–770–33090–920–40450–1080–44770 एवं प्रचलित दर अनुसार मंहगाई भत्ता व अन्य भत्ते (Pre-revised) VIth Pay Commission |

छः – **आवश्यक अर्हता** – कोई भी व्यक्ति सिविल न्यायाधीश वर्ग – 2 (प्रवेश स्तर सीधी भर्ती) के पद के लिए अर्ह तभी होगा जब कि वह–

(1) भारत का नागरिक हो ।

(2) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से **विधि स्नातक की उपाधि आवेदन करने की अंतिम तिथि तक प्राप्त कर ली हो** और उसका अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित हो चुका हो और उनके पास आवश्यक दस्तावेज उस दिन को मौजूद हों।

(3) वह अच्छा चरित्र रखता हो तथा अच्छे स्वास्थ्य वाला हो तथा किसी भी ऐसे शारीरिक कमी वाला ना हो जो उसे ऐसी नियुक्ति के लिए अनुपयुक्त करता हो।

(4) आयु सीमा 1 जनवरी 2020 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 35 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो।

उच्चतम आयु सीमा में छूट –

(क) म.प्र. के मूल निवासी जो कि म.प्र. के लिये अधिसूचित अजा/अजजा/अपिव के हैं, उन्हें उच्चतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(ख) म.प्र. शासन के समस्त श्रेणी के स्थायी या अस्थायी शासकीय कर्मचारियों (जिनमें महिला कर्मचारी भी शामिल हैं) के लिए उच्चतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जावेगी।

(ग) दिव्यांग आवेदकों को भी उच्चतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। उच्चतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिव्यांग आवेदक को आवेदन करने की तिथि को 40% या अधिक की दिव्यांगता होने पर ही प्राप्त होगा।

नोट 1– ऐसे सभी आवेदक जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें अनारक्षित श्रेणी में ही माना जावेगा और वे आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी अनारक्षित ही भरें और उसी अनुसार परीक्षा शुल्क भी देय होगा और उन्हें अजा, अजजा एवं अपिव श्रेणी का कोई लाभ नहीं मिलेगा।

2— उच्चतम आयु सीमा में छूट का लाभ आवेदक द्वारा तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जाएगा।

3— यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वह आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को आवेदन करने की अंतिम तिथि तक पूरा करता है। अतः आवश्यक अर्हता प्राप्त आवेदक ही आवेदन करें। आवेदन करने की अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त किसी भी अर्हता को विज्ञापित पद के लिये मान्य नहीं किया जायेगा। परीक्षा में प्रवेश देने अथवा साक्षात्कार के लिये आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र, बिना पूर्व सूचना के, निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जाएगी तथा इस सम्बन्ध में आवेदन/अभ्यावेदन संक्षिप्ततः निरस्त कर दिये जावेंगे।

4— यदि किसी अभ्यर्थी ने अपनी योग्यता, जन्मतिथि, अर्हता अथवा आरक्षण से सम्बन्धित या अन्य कोई जानकारी जो परीक्षा या चयन प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय ऑनलाइन आवेदन या आवेदन पत्र या दस्तावेज में चाही गयी है, से सम्बन्धित गलत जानकारी दिया है तो किसी भी समय उसे संज्ञान में आने पर तत्काल उसकी अभ्यर्थिता बिना कोई कारण बताये निरस्त कर दी जायेगी और उसे परीक्षा के आगे के चरण में भाग लेने का अधिकार नहीं रहेगा ।

सात — अनर्हताएँ —

निम्नलिखित मामलों में, उल्लंघन करने वाले आवेदकों का अभियोजन किया जा सकेगा और/या चयन के लिये उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी और/या उसे या तो स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिये विवर्जित कर दिया जाएगा :—

1. यदि किसी अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के द्वारा स्वयं के चयन हेतु समस्त भर्ती प्रक्रिया में किसी भी तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो या इसके लिये प्रयास किया हो, या

2. प्रतिरूपण (इम्परसोनेशन) किया हो या कराया हो, या

3. कूटरचित दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हों, जिनमें फेरबदल किया गया हो, या

4. चयन के किसी भी स्तर पर परीक्षा हेतु दिये गये किसी भी आवेदन/प्रपत्र/अनुप्रमाणन/दस्तावेज मे, असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपाई हो, या

5. परीक्षा में प्रवेश पाने के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो, या

6. परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो, या

7. परीक्षा संचालन में या साक्षात्कार में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुँचायी हो या किसी तरीके से दुर्व्यवहार किया हो, या

8. आवेदकों को प्रवेश पत्र में दिये गये किन्हीं निर्देशों या अन्य अनुदेशों (पहचान चिन्ह अंकित करने से संबंधित अनुदेशों को छोड़कर), जिनमें परीक्षा संचालन में लगे केन्द्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारी द्वारा मौखिक रूप से दी गई हिदायतें भी शामिल हैं, का उल्लंघन किया हो ।

9. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम, 6 के अनुसार नियुक्ति के लिये वह उम्मीदवार अपात्र होगा जो निम्न में से कोई हो:-

    (अ) पुरूष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों । इसी प्रकार महिला उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो । ऐसे मामले में शासन ही

अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात् यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है, तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है ।

(ब) जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं पाया जाए ।

(स) जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो।

(द) जिसकी दो से अधिक संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हुआ है परंतु निरर्हित नहीं होगा यदि एक संतान के जीवित रहते आगामी प्रसव में दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है ।

आठ– ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के निर्देश और विधि :–

(1) **कृपया आवेदन पत्र भरने से पहले सावधानीपूर्वक निर्देशों को पढ़ लें।** आप निर्देश /विज्ञापन म.प्र. उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट www.mphc.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

(2) ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक **05 नवंबर, 2020 रात्रि 11:55 (pm) बजे तक** भरे जा सकते हैं।

आनलाईन आवेदन भरने सम्बन्धी महत्वपूर्ण जानकारी :–

1. आवेदक स्वयं अपना ऑनलाइन फार्म भर सकते हैं।

आवेदन पत्र म0प्र0 उच्च न्यायालय की वेबसाईट www.mphc.gov.in पर ऑनलाइन उपलब्ध है, अभ्यर्थी को उक्त वेबसाईट में जाकर "Recruitment/Result" की बटन में क्लिक करना होगा, "Click Here - Online Application Forms/ Admit Cards" क्लिक करने के पश्चात् 04 लिंक उपलब्ध होंगी, जो कि निम्नानुसार हैः–

1. Advertisement
2. Registrartion
3. Application
4. Edit Application

Advertisement लिंक पर क्लिक कर विज्ञापन के पूरे निर्देशों को ध्यान से पढ़ लें, तत्पश्चात् Registration लिंक पर क्लिक कर चाही गई जानकारी को दर्ज करें, जिससे अभ्यर्थी द्वारा दिये गये मोबाईल नंबर एवं ई0—मेल आई0डी0 में User-ID & Password भेजा जायेगा, जिसके द्वारा अभ्यर्थी Application लिंक में क्लिक कर अपना आवेदन फार्म पूरा भरकर अपनी फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर सकेंगे। पूरे फार्म को भरने के उपरांत अभ्यर्थी फार्म को Preview कर Submit बटन पर क्लिक कर निर्धारित शुल्क का भुगतान कर सकेंगे।

2. उक्त प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभ्यर्थी डेबिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान कर सकेंगे। निर्धारित शुल्क का भुगतान होने के पश्चात् अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आऊट, प्रिंट बटन पर क्लिक कर प्राप्त कर लें। उक्त प्रिंट को परीक्षा की अन्य प्रक्रियाओं के लिये अपने पास सुरक्षित रखें।

नोट :— **कृपया विज्ञापन को सावधानी पूर्वक पढ़ लें और यदि आपको ऑनलाईन फार्म भरने में कोई समस्या आती है, तो दूरभाष नम्बर (022—61306271) पर तत्काल सम्पर्क करें ।**

3— **जानकारी की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा। असत्य या गलत जानकारी ऑनलाइन आवेदन में देने पर संबंधित आवेदक की अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी।**

4— **परीक्षा शुल्क का भुगतान प्रत्येक आवेदक को दिनांक 05 नवंबर 2020 को रात्रि 11:55 (pm) बजे तक करना अनिवार्य है। पेमेंट के अभाव में आवेदन स्वतः निरस्त हो जावेगा ।**

5— ऐसे आवेदन स्वीकार नहीं कियें जायेंगे जिन्हें आनलाईन भरने के बाद प्रिन्ट लेकर म0प्र0 उच्च न्यायालय के पास डाक या किसी अन्य माध्यम से भेजा जायेगा। परीक्षा शुल्क के लिये किसी भी प्रकार का बैंक ड्राफ्ट भी स्वीकार नहीं होगा। ऐसा करने पर इन्हें मान्य न करते हुये निरस्त कर दिया जावेगा और उसकी जिम्मेदारी आवेदक की ही मानी जावेगी ।

खण्ड–''ब''

परीक्षा की योजना :– यह परीक्षा **तीन चरणों में होगी** :–

1. ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा
2. मुख्य परीक्षा व
3. साक्षात्कार।

1. ऑनलाइन प्रारंभिक (अनुवीक्षण) परीक्षा (150 अंक)

प्रथम चरण में ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी जो कि मुख्य परीक्षा के लिये आवेदकों की संख्या को सीमित करने के लिए केवल अनुवीक्षण (Screening) परीक्षा होगी। प्रारम्भिक परीक्षा के प्राप्तांकों को अंतिम चयन में नही जोड़ा जाएगा।

एक– **ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा का दिनांक समय/पाली व केन्द्र** – प्रारंभिक परीक्षा, ऑनलाइन सेवा प्रदाता के द्वारा अपने पोर्टल/वेबसाइट के माध्यम से **एक या एक से अधिक दिवसों मेंएक या एक से अधिक पाली (Shift) में** ली जायेगी। **परीक्षा की पालियाँ, दिनाँक, समय एवं जिले बाद में अधिसूचित किये जायेंगे** । एक से अधिक पालियों में परीक्षा होने पर प्रत्येक पाली (Shift) के प्रश्न पत्र के सेट अलग–अलग होंगे। किसी भी सेट के संबंध में परीक्षार्थियों को कोई आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा। परीक्षा केन्द्र विभिन्न जिला मुख्यालय के शैक्षणिक संस्थान होंगे। परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्र के जिले के चयन का विकल्प दिया जायेगा परंन्तु परीक्षा केन्द्र व जिले तथा परीक्षा पाली के बारे में अंतिम निर्णय ऑनलाइन सेवा प्रदाता का परीक्षार्थियों की संख्या को देखते हुए होगा। इस संबंध में किसी भी अभ्यर्थी को कोई आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा। परीक्षा केन्द्र के संभावित जिले **जबलपुर, भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, सागर, सतना, उज्जैन आदि होंगे। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद, परीक्षार्थियों की संख्या को देखते हुये, परीक्षा केन्द्र व परीक्षा जिले कम या अधिक** ऑनलाइन सेवा प्रदाता द्वारा किये जा

सकेगें। परीक्षा पाली, परीक्षा केन्द्र व परीक्षा जिले के आबंटन संबंधी ऑनलाइन सेवा प्रदाता का निर्णय अंतिम होगा।

दो – प्रवेश पत्र – प्रवेश पत्र म.प्र. उच्च न्यायालय द्वारा अपनी वेबसाईट पर जारी किया जावेगा, जिसका प्रिंट आउट स्वयं अभ्यर्थी को प्राप्त करना होगा। प्रवेश पत्र का प्रिंट आउट म.प्र. उच्च न्यायालय की वेबसाईट (**www.mphc.gov.in**) के माध्यम से अपना आवेदन क्रमांक एवं जन्मतिथि डालकर प्राप्त किया जा सकेगा। प्रिंटआउट की सुविधा ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा की तिथि के लगभग 07 दिन पूर्व से उपलब्ध होगी, जिसका पृथक से कोई शुल्क देय नहीं होगा।

तीन– ऑनलाइन प्रारम्भिक परीक्षा का पाठ्यक्रम :–

ऑनलाइन प्रारम्भिक परीक्षा का **विस्तृत पाठ्यक्रम निर्धारित अंकों सहित निम्नानुसार** है :–

स. क्र.	विषय (नवीनतम संशोधनों व अद्यतन जानकारी के साथ)	कुल प्रश्न	अंक
1	भारत का संविधान	10	10
2	सिविल प्रक्रिया संहिता	15	15
3	संपत्ति अंतरण अधिनियम	7	7
4	भारतीय संविदा अधिनियम	8	8
5	विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम	6	6
6	परिसीमा अधिनियम	4	4
7	म.प्र.स्थान नियंत्रण अधिनियम	5	5
8	म.प्र. भू–राजस्व संहिता	5	5
9	भारतीय साक्ष्य अधिनियम	15	15
10	भारतीय दंड संहिता	15	15
11	दंड प्रक्रिया संहिता	15	15
12	नेगोशिएबुल इंस्ट्रूमेंट एक्ट	5	5
13	सामान्य ज्ञान	20	20
14	कम्प्यूटर ज्ञान	10	10
15	अंग्रेजी ज्ञान	10	10
	कुल	150	150

चार – ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा प्रक्रिया :–

(1) ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा निर्धारित परीक्षा केन्द्रों में आवश्यकतानुसार **एक या एक से अधिक पालियों** में आयोजित की जाएगी। ऑनलाइन परीक्षा हेतु 150 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के पूछे जायेंगे जिसमें प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर/विकल्प होंगे अभ्यर्थी/परीक्षार्थी प्रश्नों को किसी भी क्रम में हल कर सकेगा अर्थात् किसी प्रश्न को हल न कर सकने की स्थिति में आगे बढ़ सकेगा तथा आवश्यकता पड़ने पर पिछले प्रश्न पर वापस जा सकेगा इस परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र हल करने की समय–सीमा 120 मिनट यानि 2 घण्टे की होगी। **इस परीक्षा में कोई निगेटिव मार्किंग सिस्टम नहीं रहेगा।**

(2) **Mock Test (मॉक टेस्ट)**– आवेदकों के लिये ऑनलाइन प्रश्न पत्र को हल करने की प्रक्रिया से अवगत कराने हेतु म.प्र. उच्च न्यायालय की वेबसाइट www.mphc.gov.in पर Mock Test (मॉक टेस्ट) (परीक्षा अभ्यास) की सुविधा उपलब्ध रहेगी एवं यह प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात् शुरू हो जायेगी।

(3) आवेदक को परीक्षा तिथि पर प्रवेश पत्र के साथ एक मूल फोटो पहचान पत्र लाना होगा और उसके पहचान के सत्यापन एवं बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन अथवा फोटो खींचकर उसका मिलान परीक्षा फार्म में दिये गये फोटो से होने के बाद आवेदक होने की पुष्टि पर ही परीक्षा केन्द्र/कक्ष में प्रवेश दिया जायेगा। मूल फोटो पहचान पत्र नहीं होने पर आवेदक को परीक्षा देने से वर्जित कर दिया जावेगा। पहचान पत्र की फोटो कॉपी मान्य नहीं होगी।

(4) प्रत्येक आवेदक को ऑनलाइन परीक्षा देने के लिए एक–एक कम्प्यूटर दिया जायेगा। परीक्षा शुरू करने के पहिले आवेदक को यूजर आई.डी. के स्थान पर अपना एप्लिकेशन नंबर एवं पासवर्ड के स्थान पर जन्मतिथि डालनी होगी।

(5) इसके पश्चात् आवेदक को स्क्रीन पर एक प्रश्न और उसके चार संभावित उत्तर /विकल्प दिखेंगे। आवेदक को इन चारों में से किसी एक सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनकर अपना सही उत्तर सेव कर सकता है। सेव करने के बाद उत्तर में सुधार या परिवर्तन नहीं होगा।

(6) ऑनलाइन परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी के कम्प्यूटर स्क्रीन पर उसका फोटो/विवरण दिखेगा, जिससे भी उसकी पहचान की जांच व पुष्टि वीक्षक द्वारा की जा सकेगी।

पाँच – ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा का मूल्यांकन एवं परिणाम :–

(1) परीक्षा होने के उपरान्त प्रस्तावित मॉडल उत्तर म.प्र. उच्च न्यायालय की वेबसाइट www.mphc.gov.in पर उपलब्ध होगा। यदि कोई अभ्यर्थी प्रस्तावित मॉडल उत्तर के संदर्भ में कोई आपत्ति/सुझाव करना चाहता है तो वह वेबसाइट पर प्रस्तावित मॉडल उत्तर के प्रकाशन के दिनांक से 07 दिवस के भीतर स्वयं द्वारा लिखित एवं स्वहस्ताक्षरित अभ्यावेदन डाक या ई–मेल (pregexamhcjbp@mp.gov.in) द्वारा प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (परीक्षा) म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर को संबोधित करते हुए आपत्ति/सुझाव जिसपर आधारित है उससे सम्बन्धित स्रोत/दस्तावेज की स्वप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ प्रस्तुत कर सकता है ।

ऐसा कोई अभ्यावेदन जो आवेदक ने स्वयं नहीं किया हो और जो कि बिना किसी दस्तावेजों/स्रोतों या सबूतों के हो अथवा निर्धारित समयावधि के पश्चात् प्राप्त हुआ हो, विचारणीय नहीं होगी तथा बिना कारण बताये ऐसी आपत्ति/अभ्यावेदन संक्षिप्ततः निरस्त कर दिया जावेगा । 07 दिन की समयावधि के बाद प्राप्त कोई भी आपत्ति/अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जावेगा । ऑनलाइन परीक्षा के परिणामों की घोषणा के बाद की गई कोई भी आपत्ति चाहे वह किसी भी आधार पर की गई हो बिना कारण बताये निरस्त कर दी जावेगी।

यदि प्रस्तावित आदर्श उत्तर कुंजी के संबंध में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती हैं तो प्रस्तावित आदर्श उत्तर कुंजी को अंतिम आदर्श उत्तर कुंजी मानते हुए और प्रस्तावित आदर्श उत्तर कुंजी के आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार किया जायेगा ।

(2) ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा का मूल्यांकन कम्प्यूटर आधारित होगा। ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा में अधिकतम लगभग 10 गुना (जो कम हो सकती है) अभ्यर्थी

श्रेणीवार (केटेगरीवाइस) मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने के लिये योग्य/सफल घोषित किये जावेंगे, परन्तु समान अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को भी शामिल किया जायेगा भले ही इस कारण उनकी संख्या 10 गुना से कुछ अधिक हो जाये, परन्तु यह भी कि प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य वर्ग व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 90 अंक एवं आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 82 अंक प्राप्त करना आवश्यक है।

(3) परीक्षा पूर्ण होने पर यथाशीघ्र ऑनलाइन सेवा प्रदाता द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने के लिए योग्य/सफल पाये गये उम्मीदवारों की केटेगरीवाइस लिस्ट एम.पी. हाईकोर्ट की वेबसाइट पर इस सूचना के साथ अपलोड की जायेगी कि प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित हो चुका है आवेदक अपना परीक्षा परिणाम एवं प्राप्तांक अपनी ID एवं Password तथा उनके मोबाइल नंबर पर आये OTP से Login कर देख सकता है।

(4) प्रारम्भिक परीक्षा का परिणाम घोषित होने से 3 माह की अवधि तक अभ्यर्थी अपनी उत्तर पुस्तिका (रेस्पांस शीट) या उससे संबंधित जानकारी ऑनलाइन सेवा प्रदाता से विहित शुल्क अदा कर सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्राप्त कर सकेंगे तत्पश्चात् परिरक्षित नहीं रखी जाएगी ।

छः – **आवश्यक सूचना :–**

(1) आवेदक को अपने चुने हुए परीक्षा केन्द्र पर **परीक्षा शुरू होने के समय से 1 घंटा 30 मिनट पूर्व अथवा कोविड–19 के कारण काल लैटर में दिये समय पर उपस्थित होना आवश्यक है तथा इसके बाद परीक्षा केंद्र पर प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया जायेगा।**

(2) आवेदक का **बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन अथवा/और फोटो खींचकर उसका मिलान परीक्षा फार्म में दिये गये फोटो से होने के बाद आवेदक होने की पुष्टि पर ही परीक्षा में बैठने दिया जायेगा** ।

(3) आवेदक द्वारा **निर्धारित तिथि व समय पर परीक्षा केन्द्र पर उपस्थित न होने पर आवेदक की अभ्यर्थिता निरस्त हो जाएगी तथा किसी भी स्थिति में दूसरी तिथि व समय परीक्षा हेतु नहीं दी जायेगी।**

(4) परीक्षा केन्द्र में किसी भी प्रकार का केल्कुलेटर, मोबाइल फोन, लिस्निंग डिवाईस, रिकार्डिंग डिवाईस, अलार्म वॉच तथा संचारी यंत्र इत्यादि ले जाना वर्जित होगा। आवेदक अपने साथ सिर्फ मूल पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, पेन, पेन्सिल, फेस मास्क एवं सेनिटाइजर की छोटी शीशी ले जा सकेगा।

(5) परीक्षार्थी परीक्षा समाप्त होने के बाद निर्देशानुसार ही परीक्षा केन्द्र से बाहर निकल सकेगा।

(6) अन्य आवश्यक निर्देश प्रवेश पत्र पर अंकित किये जाएंगे ।

सात – अनुचित साधन :–

निम्नलिखित में से कोई भी क्रियाकलाप/गतिविधि परीक्षार्थी द्वारा उपयोग में लाने पर उसे अनुचित साधन (Unfair Means) के अंतर्गत माना जावेगा तथा उल्लंघन करने वाले आवेदकों का अभियोजन किया जा सकेगा और/या चयन के लिये उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी और/या उसे या तो स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिये उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा में शामिल होने से विवर्जित कर दिया जाएगा :–

(1) परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क/नकल करना।

(2) अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना या परीक्षार्थी के स्थान पर अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित होना।

(3) परीक्षा कक्ष में अपने पास किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री रखना।

(4) परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफूसी करना, इशारे करना व अन्य प्रकार से सम्पर्क साधना।

(5) सक्षम अधिकारी के निर्देशों की अवहेलना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना।

(6) परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारी/अधिकारी को परेशान करना, धमकाना या शारीरिक चोट पहुंचाना, परीक्षा कक्ष/भवन के किसी भी वस्तु, संपत्ति, यंत्र, कम्प्यूटर आदि को किसी तरह क्षति पहुँचाना।

2—मुख्य परीक्षा (400 अंक)

एक—(1) **मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन पत्र** — मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन पत्र, समस्त दस्तावेजों के स्वप्रमाणित प्रति के साथ, प्रारंभिक परीक्षा में मुख्य परीक्षा हेतु सफल पाये गये अभ्यर्थियों से बुलाये जायेंगे। मुख्य परीक्षा के आवेदन का प्रारूप म.प्र. उच्च न्यायालय की वेबसाइट www.mphc.gov.in पर प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के साथ दिया जायेगा, जिसे भरकर आवश्यक दस्तावेज और फोटो के साथ सफल अभ्यर्थी को परीक्षा सेल द्वारा निर्धारित तिथि के पूर्व आवश्यक रूप से परीक्षा सेल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर में व्यक्तिगत रूप से अथवा डाक के माध्यम से जमा कराना होगा । उक्त समय के बाद मुख्य परीक्षा हेतु प्राप्त आवेदनों को निरस्त माना जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं रहेगी, भले ही उसने प्रवेश पत्र को संबंधित वेबसाइट से डाउनलोड कर लिया हो । उक्त समयावधि बाद प्राप्त आवेदनों के संबंध में कोई आवेदन अथवा अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा और संक्षिप्ततः निरस्त कर दिया जायेगा ।

(2) **प्रवेश पत्र — मुख्य परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र** ऑनलाइन सेवा प्रदाता द्वारा म. प्र. उच्च न्यायालय की वेबसाइट www.mphc.gov.in पर जारी किया जावेगा, जिसका प्रिंट आउट स्वयं अभ्यर्थी को प्राप्त करना होगा। प्रिंटआउट की सुविधा मुख्य परीक्षा तिथि के लगभग 07 दिन पूर्व से उपलब्ध होगी, जिसका पृथक से कोई शुल्क देय नहीं होगा।

दो — **मुख्य परीक्षा की तिथि : बाद में अधिसूचित की जावेगी जो लगातार दो या अधिक दिनों में दो पालियों (शिफ्ट्स) में होगी ।**

तीन —**मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम —**

मुख्य परीक्षा जबलपुर में संपन्न कराई जावेगी, मुख्य परीक्षा में 04 (चार) प्रश्न पत्र होंगे एवं प्रत्येक प्रश्न पत्र 3 घंटे में हल किये जायेंगे, मुख्य परीक्षा जो लिखित होगी वह लगातार दो या अधिक दिनों में दो—दो पालियों (शिफ्ट्स) में संपन्न कराई जावेगी। पहले दिन प्रथम पाली (शिफ्ट) में प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय पाली (शिफ्ट)

में द्वितीय प्रश्न पत्र की परीक्षा होगी इसी प्रकार दूसरे दिन प्रथम पाली (शिफ्ट) में तृतीय प्रश्न पत्र एवं द्वितीय पाली (शिफ्ट) में चतुर्थ प्रश्न पत्र की परीक्षा होगी। परीक्षार्थी का उपरोक्त चारों प्रश्न पत्रों की परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य है । यदि परीक्षार्थी किसी भी प्रश्न पत्र में सम्मिलित नहीं होता है तो उसे शेष प्रश्न पत्र/पत्रों की परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी तथा उसकी उत्तर–पुस्तिका(ओं) का मूल्याँकन नहीं किया जायेगा एवं उसकी अभ्यर्थिता को निरस्त समझा जावेगा। परीक्षा का पाठ्यक्रम इस प्रकार है :–

(अ) **<u>प्रथम प्रश्न पत्र</u> – प्रथम प्रश्न पत्र संविधान, सिविल विधि एवं प्रक्रिया का होगा जिसके लिए 100 अंक निर्धारित है, प्रथम प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम इस प्रकार हैं :–**

1. भारत का संविधान
2. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908
3. संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882
4. भारतीय संविदा अधिनियम, 1872
5. विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 (अध्याय – I, II and VI to VIII)
6. परिसीमा अधिनियम, 1963 (भाग – II & III)

(ब) **<u>द्वितीय प्रश्न पत्र</u> – द्वितीय प्रश्न पत्र लेखन एवं संक्षेपण का होगा जिसके लिए 100 अंक निर्धारित है, द्वितीय प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम इस प्रकार है :–**

1.	लेख सामाजिक विषय पर	– 30 अंक
2.	लेख विधिक विषय पर	– 20 अंक
3.	संक्षिप्तिकरण लेखन	– 20 अंक
4.	हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद	– 15 अंक
5.	अँग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद	– 15 अंक

(स) **<u>तृतीय प्रश्न पत्र</u> – तृतीय प्रश्न पत्र स्थानीय विधि, अपराध विधि एवं प्रक्रिया का होगा जिसके लिए 100 अंक निर्धारित है, तृतीय प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम इस प्रकार है :–**

1. म.प्र. स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961
2. म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959
3. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872
4. भारतीय दंड संहिता, 1860
5. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973
6. नेगोशिएबुल इंस्ट्रूमेंटस एक्ट,1881 (धारा 138 से धारा 147 तक)

(द) **<u>चतुर्थ प्रश्न पत्र</u> – चतुर्थ प्रश्न पत्र निर्णय लेखन का होगा जिसके लिए 100 अंक निर्धारित है, चतुर्थ प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम इस प्रकार है :–**

1.	विवाद्यकों का स्थिरीकरण	– 10 अंक
2.	आरोपों की विरचना	– 10 अंक
3.	निर्णय/आदेश (सिविल) लेखन (CJ-II)	– 40 अंक
4.	निर्णय/आदेश (दांडिक) लेखन (JMFC)	– 40 अंक

नोट– 1. सभी प्रश्न पत्रों में प्रश्नों के उत्तर एक ही भाषा हिन्दी या अंग्रेजी में लिखना होगा।

2. संक्षिप्तिकरण लेखन, के लिए वादपत्र (Plaint), वादोत्तर (Written Statement) अथवा आरोप पत्र (Charge-sheet) /परिवाद पत्र (Complaint) की कॉपी दी जा सकेगी और अभ्यर्थी से उसके एक तिहाई शब्दों में संक्षिप्तीकरण के लिए कहा जा सकेगा ।

3. उपर्युक्त समस्त प्रश्न पत्र हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में होंगे। किसी प्रकार की भिन्नता दोनों भाषाओं के प्रश्न में होने पर अंग्रेजी भाषा का प्रश्न मानक होगा।

4. सभी प्रश्न–पत्रों की उत्तर–पुस्तिकाओं की लिखावट स्पष्ट और पठनीय होना आवश्यक है । यदि किसी परीक्षार्थी के द्वारा लिखी गई उत्तर–पुस्तिका की लिखावट मूल्यांकनकर्त्ता/मूल्यांकनकर्त्तागण के मत में अस्पष्ट या अपठनीय होगी तो उसका मूल्यांकन नहीं किया जायेगा ।

5. परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका अथवा अनुपूरक शीट के प्रथम पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर ही अनुक्रमांक अंकित करेंगे। उत्तर पुस्तिका में निर्दिष्ट स्थान के अतिरिक्त किसी स्थान पर अपना नाम या अनुक्रमांक अथवा कोई क्रमांक या पहचान का कोई निशान अंकित नहीं करेंगे जिससे की परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका को अन्य उत्तर पुस्तिकाओं से अलग पहचाना जा सके। चतुर्थ प्रश्न पत्र निर्णय लेखन में परीक्षार्थी न्यायालय में किसी नाम का उल्लेख न कर ''क, ख, ग'' अथवा ''अ, ब, स'' का उल्लेख करेंगे। नाम का उल्लेख सर्वथा प्रतिषिद्ध होगा और उसकी अभ्यर्थिता निरस्त किये जाने का आधार होगा।

चार– मुख्य परीक्षा का परिणाम :–

1. मुख्य परीक्षा में सभी चार प्रश्न पत्रों में मिलाकर अनारक्षित वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को न्यूनतम 50% अंक तथां अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को न्यूनतम 45% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

2. मुख्य परीक्षा में सम्मिलित आवेदकों में से उक्तानुसार न्यूनतम अंक प्राप्त करने वालों में से श्रेणीवार विज्ञप्तित पदों की संख्या के अधिकतम 3 गुना (जो कम

हो सकती है) मेरिट में एवं समान अंक प्राप्त आवेदक को शामिल करते हुए साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए चयनित किये जायेंगे।

3. अभ्यर्थी अपनी स्वयं की मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं (Answer Books) की सत्यापित प्रतिलिपि या उससे संबंधित जानकारी उच्च न्यायालय के आर.टी. आई. अनुभाग से विहित शुल्क अदा कर सूचना के अधिकार के अंतर्गत चयन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् अर्थात् चयनित अभ्यर्थियों की अनुशंसा विधि विभाग को प्रेषित किये जाने के उपरांत प्राप्त कर सकेंगे

<u>नोट</u>–1. प्रारंभिक परीक्षा अथवा मुख्य परीक्षा के सम्बन्ध में ऊपर दिये गये न्यूनतम अंक के सम्बन्ध में कोई आवेदन अथवा अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे और संक्षिप्ततः निरस्त कर दिये जायेंगे ।

2. परीक्षा के किसी भी स्तर पर अर्थात प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य लिखित परीक्षा से संबंधित पुनर्गणना अथवा पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन करने का कोई प्रावधान नहीं है अतः इस विषय में प्राप्त आवेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी तथा इस सम्बन्ध में प्राप्त आवेदन/अभ्यावेदन स्वतः निरस्त माने जायेंगे।

3. <u>साक्षात्कार</u>

एक– साक्षात्कार –मुख्य परीक्षा में सफल परीक्षार्थियों को अनुक्रमांक के क्रम से साक्षात्कार हेतु बुलाया जायेगा। साक्षात्कार के लिए 50 अंक निर्धारित हैं । परीक्षार्थियों को अंतिम रूप से चयनित होने के लिए साक्षात्कार में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक अर्थात् 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।

दो– अंतिम चयन का आधार – अंतिम चयन मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्तांक एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के कुल योग के आधार पर मेरिट से किया जाएगा। साक्षात्कार के लिए आवेदकों को आमंत्रित करने के संबंध में उच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम होगा।

नोटः–साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने वाले आवेदकों को चयन के लिए अनर्ह माना जाएगा।

खण्ड–''स''

एक– परीक्षा सम्बन्धी अन्य निर्देश :–

1. परीक्षा में आवेदक का प्रवेश पूर्णतः प्रावधिक है। अर्हता से संबंधित समस्त मूल प्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
2. परीक्षा के समय अनुचित साधन का उपयोग/प्रयास करना, दी गई उत्तर पुस्तिका एवं प्रश्न पत्र को क्षति पहुँचाना, धौंस डपट देना, शारीरिक क्षति पहुँचाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/अधिकारियों के निर्देशों की अवमानना करना, दुर्व्यवहार, अपशब्दों का उपयोग, अशिष्ट आचरण आदि को दण्डनीय माना जायेगा।
3. उत्तरपुस्तिका पर परीक्षार्थी केवल निर्धारित स्थान पर ही अपना अनुक्रमांक लिखें। उत्तर पुस्तिका में निर्दिष्ट स्थान के अतिरिक्त किसी स्थान पर अपना नाम या अनुक्रमांक अथवा कोई क्रमांक, धार्मिक शब्द या चिन्ह या पहचान का कोई निशान अंकित करना जिससे कि परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका को अन्य उत्तर पुस्तिकाओं से अलग पहचाना जा सके, सर्वथा प्रतिषिद्ध है इस आधार पर उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।
4. परीक्षा परिसर में मोबाईल फोन, अन्य संचारी यंत्र, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या वायरलेस डिवाइस लाना वर्जित है।
5. आवेदक यह सुनिश्चित कर लें कि उसके आवेदन पत्र, प्रवेश पत्र, परीक्षा हॉल में उपस्थिति पत्रक पर तथा समस्त पत्र व्यवहार में उसके द्वारा किये गए हस्ताक्षर एक समान होना चाहिए इनमें किसी भी प्रकार का अन्तर पाया जाता है तो उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।

दो– <u>अंक सूची</u>–

अंतिम चयन सूची जारी किये जाने के पश्चात् मुख्य परीक्षा अथवा/तथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को अंक सूची म.प्र. उच्च न्यायालय की वेबसाइट के माध्यम से जारी की जायेगी । ऐसे आवेदक, जिनकी उम्मीदवारी पहचान चिन्ह अंकित करने अथवा अन्य किसी कारण से

निरस्त कर दी गई हो, को अंकसूची जारी नहीं की जायेगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि परीक्षा में पुनर्मूल्यांकन संबंधी कोई प्रावधान नहीं है और इस संबंध में कोई अभ्यावेदन संक्षिप्ततः निरस्त किया जायेगा।

तीन– **यात्रा व्यय का भुगतान**– आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा अथवा साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिये यात्रा भत्ता देय नहीं होगा क्योंकि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से कोई परीक्षा शुल्क नहीं लिया गया है।

चार– **शुद्धि पत्र** – भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के उपरांत किसी भी समय यदि किसी भी स्पष्टीकरण, संशोधन आदि को उच्च न्यायालय की ओर से किए जाने की आवश्यकता होती है, तो यह मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट और सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर शुद्धि पत्र को जारी करके किया जा सकता है। आधिकारिक वेबसाइट जारी पर शुद्धि पत्र को सभी उम्मीदवारों उम्मीदवारों को पर्याप्त सूचना के रूप में समझा जाएगा और इस आधार पर कोई आपत्ति नहीं की जाएगी कि उम्मीदवार को इस तरह के शुद्धि पत्र की कोई जानकारी नहीं थी।

पाँच– **विनष्टीकरण** – परीक्षा में प्रयुक्त सभी उत्तर–पुस्तिकाओं, आवेदन–पत्रों (अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के मुख्य परीक्षा के आवेदन को छोड़कर) व अन्य सामग्री, चयन सूची/अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित होने के एक वर्ष बाद नष्ट कर दी जावेगी । सक्षम प्राधिकारी या माननीय न्यायालय के आदेश से या माननीय न्यायालय में प्रकरण लंबित होने पर ही संबंधित रिकार्ड सुरक्षित रखा जायेगा ।

05/01/2020

(राजेन्द्र कुमार वाणी)
रजिस्ट्रार जनरल